

नगर पालिकाओं से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना

शब्दकोष

- I. **केंद्रीय सूचना आयोग-** आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (ख) में तहत परिभाषित। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।
- II. **सूचना -** धारा 2(च) "सूचना" से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, झापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने. माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;
- III. **लोक प्राधिकरण- 2 (ज) "लोक प्राधिकारी" से.**
 - (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;
 - (ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;
 - (ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :
 - (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा , स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत,
 - i. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;
 - ii. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।
- IV. **सूचना का अधिकार- 2(ज) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है**
 - i. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
 - ii. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
 - iii. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;
 - iv. डिस्कट फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्रास करना; (ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत
- V. **राज्य सूचना आयोग-** आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत परिभाषित। राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के अधीन लोक प्राधिकरणों के संबंध में शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

1. पृष्ठभूमि

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद 'आरटीआई' के रूप में संदर्भित) सार्वजनिक प्राधिकरणों से मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने का इरादा रखता है। सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 2(च)

और अधिनियम की धारा 2(ज) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत परिभाषित किया गया है। संबंधित अनुभाग नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं-

सूचना- धारा 2(च) “सूचना” से किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, झापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;


लोक प्राधिकरण- 2(ज) “लोक प्राधिकारी” से-

- (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;
- (ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;
- (ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :
- (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा , स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत,
 - i. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;
 - ii. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

2. क्या नगरपालिका लोक प्राधिकारी हैं?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 Q के अनुसार प्रत्येक राज्य को शहरी क्षेत्रों में तीन प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन करना चाहिए। इसलिए, नगरपालिका निकाय धारा 2 (एच) (ए) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

उन्हें आगे तीन प्रमुखों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:



उन्हें इस प्रकार समझाया गया है-

- (क) **नगर परिषद:** एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर (ख)परिषद का गठन किया जाता है;
- (ख) **नगर निगम:** एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम का गठन किया जाता है;
- (ग) **नगर पंचायत:** इसका गठन एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए किया जाना चाहिए

अनुच्छेद 243W नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बात करता है, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, एक राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा , समर्थन कर सकता है। इसके अलावा, नगर निकायों को भी आरटीआई अधिनियम की धारा 4 का पालन करना चाहिए। यह नगर निकायों पर निम्नलिखित दायित्व रखता है:

“धारा 4(1) - प्रत्येक लोक प्राधिकारी

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं. युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर-

- i. अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य ;
- ii. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;
- iii. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;
- iv. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड;
- v. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;
- vi. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण ;
- vii. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;
- viii. ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के. जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं. जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी. विवरण ;
- ix. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;
- x. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो ;
- xi. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;
- xii. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;
- xiii. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टिया ;
- xiv. किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके । द्वारा धारित हों;

xv. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

xvi. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

xvii. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा।

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।

नगर निकायों को निम्नलिखित अनुभाग के तहत एक पीआईओ नामित करना चाहिए-

“धारा 5(1)- प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों”

3. संचालन का क्षेत्र

अनुच्छेद 243 के अनुसार- नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा,

(क) नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियों और अधिकार के साथ जो उन्हें स्व-सरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और इस तरह के कानून में नगरपालिकाओं पर शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान हो सकते हैं, ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकती हैं, इसके संबंध में;

- (I) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना;
- (II) बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में कार्यों का प्रदर्शन और योजनाओं का कार्यान्वयन जो उन्हें सौंपा जा सकता है;
- (ख) समितियां ऐसी शक्तियों और अधिकारों के साथ जो उन्हें प्रदान की गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं, जिनमें बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में भी शामिल हैं।

नगर निकायों के संचालन का प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार है-

- (क) पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, संरक्षण, सड़क, नालियां, स्ट्रीट लाइटिंग जैसी सेवाएं |
- (ख) सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पार्क, सार्वजनिक सुविधाएं, कब्रिस्तान |
- (ग) योजना गतिविधियाँ जैसे भूमि उपयोग, शहरी नियोजन, भवन निर्माण गतिविधियाँ, व्यापार विनियमन |
- (घ) आर्थिक और सामाजिक विकास और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों जैसे स्लम सुधार, शहरी गरीबी उन्मूलन, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाना।
- (ङ) जमीनी स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन।

आरटीआई द्वारा व्यापक रूप से मांगी जाने वाली निम्नलिखित जानकारी इस प्रकार है:

- (क) आवंटित बजट और अनुमानित राजस्व
- (ख) रखरखाव का काम शुरू किया जाना है
- (ग) ठेकेदारों की सूची
- (घ) विभिन्न परियोजनाओं के लिए बोलीदाताओं की सूची
- (ङ) आवंटित धन
- (च) विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों की सूची
- (छ) सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान
- (ज) अधिकारियों की निर्देशिका
- (झ) निर्णय लेने की प्रक्रिया

4. स्थानीय निकायों को आरटीआई दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल-

नीचे दी गई तालिका राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के स्थानीय निकायों के ऑनलाइन पोर्टल के लिंक दिखाती है-

हरयाणा	https://www.filertionline.in/how-to-file-rti-in-urban-local-bodies-haryana-in-haryana
कोइमबटूर	https://coimbatore.nic.in/rti/
कोज़िकोडे	https://kozhikodecorporation.lsgkerala.gov.in/en/RTI
ओडिशा	https://rtiodisha.gov.in/pa/T1RILzEzLzc3MS8xMQ
विल्लुपुरम	https://viluppuram.nic.in/rti/
कलकत्ता	https://www.kmcgov.in/KMCPortal/jsp/AppellateAuthorities.jsp
चंडीगढ़	http://mcchandigarh.gov.in/?q=rti-branch
पंजाब	http://lgpunjab.gov.in/cms/rti.php

5. हाल के घटनाक्रम

आरटीआई और स्थानीय निकायों के संबंध में हाल के कुछ घटनाक्रमों का उल्लेख नीचे किया गया है

(क) 2019 में, आरटीआई अधिनियम ने बिजनौर के निवासियों को विकास कार्यों में विसंगतियों के साथ-साथ धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की पहचान करने में सक्षम बनाया।

(ख) एक आरटीआई कार्यकर्ता अंकित जैन के प्रयासों ने डेराबस्सी के स्थानीय निकाय को 4 इमारतों को सील करने के लिए मजबूर किया, जो अवैध रूप से बनाए जा रहे थे।

(ग) केंद्रीय सूचना आयोग (इसके बाद 'सीआईसी' के रूप में संदर्भित) ने राहुल शर्मा बनाम पीडब्ल्यूडी दिल्ली (2018) के मामले में सार्वजनिक सूचना के विकास के संबंध में सूचना के मुक्त प्रवाह की सुविधा के लिए एक आदेश पारित किया। इसका प्रासंगिक भाग नीचे अनुवाद कर प्रस्तुत किया गया है-

"आयोग आरटीआई अधिनियम की धारा 19(8)(ए)(IV) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी विभाग के साथ-साथ सीपीडब्ल्यूडी, एमओयूडी, भारत सरकार को निर्देश देता है कि वह अपनी सूचना/रिकॉर्ड प्रतिधारण प्रथाओं में पर्याप्त परिवर्तन शामिल करे। ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत मदवार सामग्री खरीद बिल। प्रत्येक मामले में, पीडब्ल्यूडी, जीएनसीटीडी और सीपीडब्ल्यूडी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे कार्य पुरस्कार अनुबंध में निर्दिष्ट किसी भी नियम और शर्त के अस्तित्व के बावजूद आइटम के बिलों की प्रमाणित प्रतियों को रिकॉर्ड पर बनाए रखें। भुगतान निपटाने से पहले कार्य निष्पादन एजेंसियों/ठेकेदारों द्वारा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जानी चाहिए। यह समय की आवश्यकता है कि लोक प्राधिकरणों को सुशासन की नैतिकता की अवहेलना को कम करने और कार्यकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सक्रिय तरीकों को अपनाना चाहिए।"

(घ) 2013 में, श्री शैलेश गांधी, केंद्रीय सूचना आयुक्त ने छह स्वच्छता अधीक्षकों पर मांगी गई जानकारी प्रदान करने में 100 दिनों से अधिक की देरी के लिए जुर्माना लगाया था।

आरटीआई आवेदन

31 अक्टूबर 2021

प्रति,
लोक सूचना अधिकारी,
नगर निगम
नई दिल्ली, भारत

महोदय,

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निम्नलिखित जानकारी मांगी गई है। कृपया प्रस्तुत करें:

1. दिल्ली में स्ट्रीट लाइटों की संख्या।
2. उन ठेकेदारों की सूची जिन्हें स्ट्रीट लाइट के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है।
3. नगर निगम और ठेकेदार के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध की एक प्रति।
4. स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के लिए बजट आवंटित।
5. समय स्लॉट जब इन स्ट्रीट लाइटों को चालू किया जाता है।

भवदिय

आवेदन निरस्त करने से पूर्व कृपया संज्ञान में ले

1. जरूरत पड़ने पर धारा 5 (3) के अंतर्गत " युक्तियुक्त सहायता प्रदान करें
2. यदि आवेदन के पूरा या समुचित भाग पर जानकारी इस विभाग के अधीन उपलब्ध नहीं है तो धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य उचित सूचना अधिकारी को अंतरित करने का कष्ट करें।